



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01062026-273048
CG-DL-E-01062026-273048

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 367]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 26, 2026/ज्येष्ठ 5, 1948

No. 367]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 26, 2026/JYAISTHA 5, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2026

सा.का.नि. 408(अ).— केन्द्रीय सरकार वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24)की धारा 6 की उपधारा (1) और उपधारा (2)के खंड (ग), (घ), और (ड.) के साथ पठित की धारा 5 की उपधारा (2), (3) और उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और समुद्री यात्रियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड(समुद्री यात्रियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड) नियम, 1963 और समुद्री यात्रियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड (नाविकों का कल्याण शुल्क का अधिरोपण) नियम, 1974 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हे, ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

अध्याय I - सामान्य उपबंध

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत परिवहन (नाविक कल्याण बोर्ड और फीस उदग्रहण) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(3) ये नियम निम्न पर लागू होंगे

- (क) भारतीय जलयान का प्रत्येक मालिक; और
- (ख) इन नियमों के अधीन उपबंधित कल्याणकारी सुविधाओं और सेवाओं तक पहुंच के संबंध में, भारत के अधिकार क्षेत्र के भीतर उपस्थित सभी नाविकों को, राष्ट्रीयता या उस जलयान के ध्वज पर विचार किए बिना जिस पर वे कार्यरत हैं।

2. परिभाषाएँ- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

- क. "अधिनियम" से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) अभिप्रेत है;
- ख. "अध्यक्ष" से कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है
- ग. "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न कोई प्ररूप अभिप्रेत है;
- घ. "गैर-आधिकारिक सदस्य" से कल्याण बोर्ड का कोई ऐसा सदस्य अभिप्रेत है जो आधिकारिक सदस्य नहीं है;
- ङ. "आधिकारिक-सदस्य" से बोर्ड का कोई ऐसा सदस्य है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा पदेन या अन्यथा नामनिर्दिष्ट एक सेवा रत सरकारी अधिकारी है, या एक व्यक्ति जिसकी सदस्यता सीधे केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या एक कानूनी प्राधिकरण के अधीन किसी पद पर धारण करने से उत्पन्न होती है;
- च. "उचित अधिकारी" से शिपिंग मास्टर या ऐसा अन्य अधिकारी अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जा सकेगा;
- छ. "नाविक कल्याण निधि सोसाइटी" से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन ऐसी रजिस्ट्रीकृत एक सोसाइटी अभिप्रेत है;
- ज. "सचिव" से कल्याण बोर्ड के सचिव अभिप्रेत है;
- झ. "कल्याण बोर्ड" से अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन गठित नाविक कल्याण बोर्ड अभिप्रेत है

(2) इन नियमों में प्रयुक्त अपरिभाषित शब्द और अभिव्यक्तियों का जो अधिनियम में परिभाषित की गई हैं, का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में दिया गया है।

अध्याय 2 - नाविक कल्याण बोर्ड

3. कल्याण बोर्ड का गठन (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, एक समय पर दो वर्ष की अवधि के लिए नाविक कल्याण बोर्ड का गठन करेगी:

परन्तु, जहां ऐसा बोर्ड उसके गठन की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति पर केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित नहीं किया जाता है, वहां वह बोर्ड अधिकतम छह माह की अवधि के अधीन, अगला बोर्ड गठित होने तक कार्य करेगा।

(2) कल्याण बोर्ड अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट सलाहकार कार्यों को समुद्री श्रम अभिसमय, 2006 के विनियम 4.4 और मानक क 4.4 को ध्यान में रखते हुए करेगा।

4. कल्याण बोर्ड की संरचना- कल्याण बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:

- (1) सचिव, भारत सरकार, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, - पदेन अध्यक्ष;
- (2) महानिदेशक, समुद्री प्रशासन - उपाध्यक्ष, पदेन;

- (3) केन्द्रीय सरकार के चार प्रतिनिधि, जो भारत सरकार के उप सचिव के पद से निम्न पद के नहीं होंगे, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;
- (4) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से दस सरकारी प्रतिनिधि;
- (5) प्रमुख पत्तनों से चार प्रतिनिधि जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;
- (6) चार जलयान के स्वामीके प्रतिनिधि, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जलयान के स्वामी के संघों के परामर्श के पश्चात नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;
- (7) नाविकों के छह प्रतिनिधि, जो नाविकों के मान्यता प्राप्त संघ के परामर्श के पश्चात केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे
- (8) नाविकों के कल्याण में रुचि रखने वाले समाजों का प्रतिनिधित्व करने वाले चार सदस्य जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे
- (9) उप महानिदेशक, नाविक कल्याण प्रभारी समुद्री प्रशासन - सदस्य-सचिव, पदेन।

5. पदावधि- कल्याण बोर्ड का प्रत्येक सदस्य कल्याण बोर्ड का गठन करने वाली अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा, जब तक कि वे त्यागपत्र न दें, या नियम 8 के अनुसार पद से पहले हटा दिए जाए।

6. आकस्मिक रिक्तियां- (1) सदस्य के कार्यालय में आकस्मिक रिक्ति को केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशन द्वारा भरा जाएगा।

(2) किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नामनिर्दिष्ट सदस्य उस सदस्य के शेष पदावधि के लिए पद धारण करेगा, जिसके स्थान पर उसे नामनिर्दिष्ट किया गया है।

7. त्यागपत्र-(1) कोई सदस्य अध्यक्ष को लिखित में सूचित करके पद से त्यागपत्र दे सकता है।

(2) अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किए जाने तक त्यागपत्र का प्रभाव नहीं होगा।

8. सदस्यों को हटाना- (1) केन्द्रीय सरकार कल्याण बोर्ड के किसी सदस्य को हटा सकती है, यदि वह, -

क. अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना बारह माह से अधिक समय तक लगातार भारत से बाहर है;

ख. अध्यक्ष की अनुमति के बिना लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित है;

ग. दिवालिया घोषित किया गया है;

घ. नैतिक पत्तन से जुड़े अपराध का दोषी ठहराया गया है;

ङ. उस श्रेणी या हित का प्रतिनिधित्व करना बंद कर देता है, जिसकी ओर से उसे नियुक्त किया गया था; या

(2) केन्द्रीय सरकार किसी सदस्य को, लिखित में कारण दर्ज करने और ऐसे सदस्य को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, हटा सकती है, यदि वह ऐसे व्यक्ति को सदस्य के रूप में रखना अवांछनीय समझती हो।

9. प्रतिनिधित्व का निलंबन- (1) जहां, जांच के पश्चात, केन्द्रीय सरकार की राय है कि कल्याण बोर्ड में प्रतिनिधित्व करने वाले किसी निकाय, संघ या संगठन ने नाविकों के हितों के लिए प्रतिकूल रीति से कार्य किया है, तो वह आदेश द्वारा और लेखाबद्ध कारणों के लिए, ऐसे निकाय, संघ या संगठन को कल्याण बोर्ड में प्रतिनिधित्व करने के अधिकार को आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निलंबित कर सकेगा।

(2) ऐसे निलंबन पर, उस निकाय, संघ या संघ द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य निलंबन की अवधि के लिए पद धारण करना बंद कर देगा।

(3) उप-नियम (2) के अधीन उत्पन्न रिक्ति को नियम 6 के अधीन आकस्मिक रिक्ति नहीं माना जाएगा, और उप-नियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट निलंबन की अवधि के लिए ही भरी जाएगी।

10. सदस्यों का रजिस्टर- सदस्यों का एक रजिस्टर कल्याण बोर्ड के सचिवालय द्वारा रखा जाएगा और जिसमें प्रत्येक सदस्य के संबंध में निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात्:

- (1) नाम और पता;
- (2) जिस क्षमता में वे बोर्ड में सेवारत हैं और जहां लागू हो, वे किन हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं;
- (3) नियुक्ति की तारीख और पदावधि;
- (4) कार्यालय बंद करने की तारीख और कारण; और
- (5) खंड (1) और (2) में संदर्भित विशिष्टियां में कोई भी परिवर्तन।

11. कल्याण बोर्ड के सचिव- (1) नाविक कल्याण के प्रभारी समुद्री प्रशासन के उप महानिदेशक, नियम 4 के उप-नियम (1) में संदर्भित पदेन सदस्य, *कल्याण बोर्ड* के सदस्य सचिव के रूप में भी कार्य भार संभालेंगे।

(2) सदस्य सचिव के कर्तव्यों में निम्नलिखित अंतर्विष्ट होंगे,

- क. अध्यक्ष के निदेशों के अधीन बैठकें बुलाना;
- ख. मिनट बुक और सदस्यों के रजिस्टर को बनाए रखना;
- ग. कर्तव्यों के निर्वहन में अध्यक्ष की सहायता करना; और
- घ. समय-समय पर कल्याण बोर्ड द्वारा समनुदेशित अन्य कर्तव्यों का पालन करना।

12. कल्याण बोर्ड की बैठकें- (1) कल्याण बोर्ड साधारणतया हर छह माह में कम से कम एक बार बैठक करेगा, और ऐसी छोटी अवधि में बैठक कर सकेगा जो अध्यक्ष आवश्यक समझे।

(2) कल्याण बोर्ड की असाधारण बैठक तब बुलाई जाएगी जब कम से कम पांच सदस्य अध्यक्ष को लेखाबद्ध अनुरोध करते हैं जिसमें उस उद्देश्य का उल्लेख किया जाएगा जिसके लिए ऐसी बैठक की आवश्यकता है।

(3) कल्याण बोर्ड की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता की जाएगी-

- क. अध्यक्ष द्वारा; या
- ख. सभापति की अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष द्वारा; या
- ग. यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हैं, तो उपस्थित सदस्यों द्वारा आपस में चुने गए सदस्य द्वारा अध्यक्षता की जाएगी।

(4) कल्याण बोर्ड की बैठकें ऐसी तारीख, समय और स्थान पर आयोजित की जाएंगी जो अध्यक्ष द्वारा तय की जा सकेगी।

13. बैठकों की सूचना-(1) कल्याण बोर्ड की प्रत्येक बैठक के स्थान, तारीख और समय की सूचना प्रत्येक सदस्य को कम से कम पंद्रह दिन पहले दी जाएगी:

परन्तु कि तत्काल मामलों में, अध्यक्ष कम नोटिस अवधि की अनुमति दे सकेगा।

(2) उप-नियम (1) में उल्लिखित नोटिस -

- क. हस्त प्रेषण द्वारा, या

ख. सदस्य के अंतिम ज्ञात पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा, या

ग. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से, जिसमें ई-मेल या अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित डिजिटल संचार के अन्य तरीके सम्मिलित हैं द्वारा दिया जा सकेगा।

(3) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऐसे नोटिस की सेवा पर्याप्त मानी जाएगी जहां प्रेषण की पुष्टि सिस्टम डिलीवरी स्थिति या प्रेषण के किसी अन्य प्रमाण द्वारा की गई है।

14. कार्यसूची- (1) बैठक की सूचना के साथ, बैठक के लिए प्रस्तावित व्यवसाय की एक सूची सभी सदस्यों को भेजी जाएगी।

(2) सभापति की अनुमति के बिना कार्यसूची में सम्मिलित नहीं किए गए किसी भी व्यवसाय का संव्यवहार नहीं किया जाएगा।

15. गणपूर्ति (कोरम)- (1) कल्याण बोर्ड की बैठक के लिए गणपूर्ति, सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से कम नहीं होगी।

(2) यदि कोई गणपूर्ति कोरम उपस्थित नहीं है, तो बैठक को मूल तिथि से चौदह दिन के पश्चात की तारीख के लिए स्थगित कर दिया जाएगा।

(3) स्थगित बैठक में व्यवसाय किया जा सकेगा चाहे गणपूर्ति कोरम हो या नहीं।

16. बैठकों में प्रक्रिया।-(1) कोई सदस्य किसी प्रस्ताव पर चर्चा करना चाहता है, तो वह बैठक से कम से कम सात दिन पहले सदस्य सचिव को लिखित सूचना देगा।

(2) बैठक के आयोजन को यथास्थिति सभापति, उपाध्यक्ष या पीठासीन सदस्य, विनियमित करेगा।

17. मतदान- (1) निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा।

(2) समान मत होने की स्थिति में, यथास्थिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या पीठासीन सदस्य, के पास एक निर्णायक मत होगा।

(3) सभी मत हाथ उठाकर डाले जाएंगे।

18. बैठकों के कार्यवृत्त- (1) बैठकों का कार्यवृत्त सदस्य सचिव द्वारा तैयार किया जाएगा और सभी सदस्यों को परिचालित किया जाएगा।

(2) सुझाव दिए गए किसी भी संशोधन के साथ कार्यवृत्त को अगली बैठक में पुष्टि के लिए रखा जाएगा।

(3) एक बार अध्यक्ष या पीठासीन सदस्य द्वारा पुष्टि और हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात, कार्यवृत्त को कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज किया जाएगा, जो कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण के लिए खुला रहेगा।

19. सिफारिशें- आगे की कार्रवाई की आवश्यकता वाले निर्णयों को सिफारिशों के रूप में दर्ज किया जाएगा और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को भेजा जाएगा।

20. बैठकों में भाग लेने वाले गैर-सदस्य-(1) अध्यक्ष कल्याण बोर्ड के कार्यों से संबंधित विशेषज्ञ सलाह या जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति को कल्याण बोर्ड की बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकेगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन आमंत्रित व्यक्तियों में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, पोत स्वामी या नाविक संगठनों, प्रमुख पत्तनों और प्रमुख पत्तनों के सिवाय अन्य पत्तनों, नाविकों के कल्याण में लगे संगठनों, समुद्री प्रशिक्षण संस्थानों, या नाविकों के कल्याण, समुद्री श्रम मानकों या संबंधित मामलों में विषय-वस्तु विशेषज्ञ सम्मिलित हो सकेंगे।

(3) एक आमंत्रणकर्ता को चर्चा में भाग लेने का अधिकार होगा, परन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

21. उपसमितियां- (1) कल्याण बोर्ड, कल्याण बोर्ड के कार्यों से संबंधित मामलों की जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए एक या अधिक उपसमितियों का गठन कर सकेगा।

(2) उपसमिति में कल्याण बोर्ड के उन सदस्य से बनेगी, जैसा कल्याण बोर्ड अवधारित कर सकेगा, और इसमें ऐसे व्यक्ति भी सम्मिलित हो सकेंगे जिनके पास नाविकों के कल्याण, समुद्री श्रम मानकों या पत्तन कल्याण संचालन से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान या अनुभव है, जैसा कल्याण बोर्ड आवश्यक समझेगा।

(3) जो व्यक्ति कल्याण बोर्ड के सदस्य नहीं हैं, परन्तु उप-समिति में नियुक्त किए गए हैं, उन्हें भाग लेने और सलाह देने का अधिकार होगा, परन्तु उनके पास मतदान का अधिकार नहीं होगा।

(4) उप-समितियाँ अपनी सिफारिशें कल्याण बोर्ड को सौंपेंगी, और उप-समिति का कोई भी निर्णय तब तक बाध्यकारी नहीं होगा जब तक कि कल्याण बोर्ड द्वारा अनुमोदित न किया जाए।

22. यात्रा और दैनिक भत्ते - (1) कल्याण बोर्ड के आधिकारिक सदस्य और उसकी किसी उप-समिति के अधिकारी, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, कार्यालय ज्ञापन संख्या 19030 / 01 / 2017-ई.आई.वी. तारीख 13 जुलाई 2017 में विहित निबंधन और शर्तों के अनुसार, समय-समय पर संशोधित, कल्याण बोर्ड की बैठकों में भाग लेने या किसी भी आधिकारिक कार्य को करने के लिए यात्रा और दैनिक भत्तों के हकदार होंगे।

(2) कल्याण बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्यों और उसकी किसी उप-समिति के मामले में, हकदारी तारीख 14 सितंबर 2017 के कार्यालय ज्ञापन एफ. सं. 19047 / 1 / 2016-ई. iv, यथा संशोधित, द्वारा शासित होगी।

(3) महानिदेशक गैर-सरकारी सदस्यों के संबंध में भत्तों की स्वीकृति के लिए नियंत्रक प्राधिकारी होंगे।

(4) इस नियम में कुछ भी किसी सदस्य के अपने नियोक्ता से भत्ते प्राप्त करने के हक को प्रभावित नहीं करेगा, जहां लागू हो।

अध्याय-3- नाविक कल्याण फीस उदग्रहण और संग्रह

23. नाविक कल्याण फीस उदग्रहण और संग्रह- (1) भारतीय जलयान पर नियुक्त प्रत्येक नाविक के संबंध में, नाविकों की सुविधाओं को उपबंधित करने और कल्याण के संवर्धन के प्रयोजन के लिए प्रति वर्ष पांच सौ रुपये की दर से एक वार्षिक कल्याण फीस उद्गृहीत और संग्रहीत किया जाएगा।

(2) वार्षिक कल्याण फीस प्रत्येक नाविक के संबंध में भारतीय जलयान के स्वामी द्वारा देय होगा, जिसे संबंधित वित्तीय वर्ष के अप्रैल के पहले दिन से ऐसे जलयान पर नियुक्त किया गया हो।

(3) उप-नियम (2) में उल्लिखित वार्षिक कल्याण फीस का भुगतान उस वित्तीय वर्ष के जून के तीसवें दिन या उससे पहले किया जाएगा, जिससे यह संबंधित है।

(4) शुल्क का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक अंतरण द्वारा उचित अधिकारी को किया जाएगा, जो प्राप्त होने के सात दिवस के भीतर "11-समुद्री वाणिज्य-नाविक कल्याण फीस" शीर्षक के अधीन सरकारी खाते में ऐसी रकम जमा करेगा।

(5) उचित अधिकारी प्ररूप में प्राप्त प्रत्येक भुगतान के लिए एक रसीद जारी करेगा।

(6) प्रत्येक स्वामी उचित अधिकारी को ऐसी जानकारी प्रस्तुत करेगा जो इन नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हो।

(7) उप-नियम (1), (2) और (3) में निहित किसी भी बात के होते हुए, ऐसे नाविक की नियुक्ति की तारीख पर विचार किए बिना, इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से साठ दिवस के भीतर कल्याण फीस का भुगतान किया जाएगा।

24. कल्याण निधि का अंशदान-(1) भारतीय जलयान के सभी स्वामी अपने द्वारा नियोजित प्रशिक्षुओं के सिवाय अन्य सभी नाविकों के लिए नाविक कल्याण निधि सोसाइटी में अंशदान करेंगे।-

(क) विदेश जाने वाले भारतीय जलयानों के लिए 500 रुपये प्रति नाविक प्रति माह की दर से; और (ख) तटीय जल में काम करने वाले भारतीय जलयानों के लिए 250 रुपये प्रति नाविक प्रति माह की दर से।

(2) उप-नियम (1) में उल्लिखित नाविक कल्याण कोष अंशदान राशि महानिदेशक द्वारा संशोधन के अधीन होगी, जो हर तीन साल में एक बार की जा सकती है:

परन्तु, इस प्रकार संशोधित राशि उप-नियम (1) में संदर्भित दी गई राशि के पच्चीस प्रतिशत से अनधिक होगी।

(3) उप-नियम (1) में उल्लिखित दी गई राशि, पिछले तिमाही की अंतिम तारीख से पंद्रह दिवस के भीतर, सोसाइटी के पक्ष में इलेक्ट्रॉनिक अंतरण द्वारा, नाविक कल्याण निधि सोसाइटी को तिमाही आधार पर प्रेषित किया जाएगा।

(4) नाविक कल्याण निधि सोसाइटी प्ररूप में प्राप्त प्रत्येक भुगतान के लिए एक रसीद जारी करेगी।

25. देयता के संबंध में विवादों का निर्धारण- (1) जहां इन नियमों के अधीन देय फीस के भुगतान के लिए या राशि के लिए देयता के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो जलयान का स्वामी विवाद के निर्धारण के लिए महानिदेशक को लिखित में आवेदन कर सकता है।

(2) महानिदेशक, आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात और सुसंगत अभिलेखों की जांच करने के पश्चात, दायित्व अवधारित करने वाला एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करेगा।

(3) महानिदेशक का निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

26. पत्तन निकासी से अस्वीकृति- (1) जहां किसी जलयान का कोई स्वामी इन नियमों में विनिर्दिष्ट समय के भीतर देय कल्याण फीस का भुगतान करने में विफल रहता है, वहां उचित अधिकारी जलयान के संबंधित स्वामी को एक नोटिस देगा, जिसमें उसे ऐसी सूचना प्राप्त होने की तारीख से तीस दिवस के भीतर फीस का भुगतान करने के लिए कहा जाएगा। इसके पश्चात, संबंधित अधिकारी दोषी के संबंध में सीमा फीस अधिकारियों को सूचित कर सकेगा, जो उस जलयान के संबंध में देय कल्याण फीस की राशि, जिसमें वसूली का खर्च भी सम्मिलित है, का भुगतान होने तक या उनके संतुष्टि के लिए भुगतान के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने तक पोत को पत्तन निकासी की मंजूरी नहीं देगा।

(2) यदि कोई जलयान, जिसके संबंध में किसी पत्तन पर कल्याण फीस देय है, उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट राशि का भुगतान किए बिना ऐसे पत्तन को छोड़ देता है, तो सीमा फीस प्राधिकारी, लिखित रूप में, सीमा फीस प्राधिकारियों को किसी अन्य पत्तन पर जिसमें जलयान आगे बढ़ सकता है, या जिस पर जलयान हो सकेगा, उक्त राशि की वसूली करने के लिए कह सकेंगे।

(3) सीमा फीस प्राधिकारी जिन्हें उप-नियम (2) के अधीन अनुरोध भेजे जाने पर वे उक्त राशि की वसूली इस प्रकार करेंगे मानो वह राशि उस पत्तन पर इन नियमों के अधीन देय है, जिस पर ऐसे प्राधिकारी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रहे हैं, और उक्त राशि देय होने पर उस पत्तन पर सीमा फीस प्राधिकारियों द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, देय राशि निर्दिष्ट हो, इन नियमों के अधीन किसी भी कार्यवाही में ऐसी देयता का पर्याप्त प्रमाण होगा।

(4) उप-नियम (3) में संदर्भित राशि की वसूली पर, सीमा फीस प्राधिकारी भुगतान करने वाले व्यक्ति को प्ररूप में विनिर्दिष्ट एक रसीद जारी करेगा, और अन्य सुसंगत कागजात के साथ रसीद की एक प्रति, यदि कोई हो, उचित अधिकारी को पत्तन पर सीमा फीस अधिकारियों के माध्यम से भेजेंगे, जिस पर उक्त राशि देय हो गई।

27. भारत की समेकित निधि की प्राप्तियां और प्रेषण- (1) नियम 23 के अधीन एकत्र वार्षिक कल्याण फीस की राशि को राजस्व प्राप्ति शीर्ष "11 - समुद्री वाणिज्य - नाविक कल्याण फीस" के अधीन भारत की समेकित निधि में जमा किया जाएगा।

(2) केन्द्रीय सरकार, वार्षिक रूप से, कल्याण फीस के संग्रह की लागत अवधारित करेगी, और ऐसे खर्च को सकल संग्रह से घटाने के पश्चात, शुद्ध आय, संसद द्वारा उचित विनियोग के पश्चात, नाविक कल्याण निधि सोसाइटी को प्रेषित की जाएगी।

(3) उप-नियम (2) के अधीन प्रेषण को व्यय शीर्ष "54 -समुद्री वाणिज्य- नाविक कल्याण फीस के कारण योगदान / भुगतान" में डेबिट किया जाएगा।

(4) नाविक कल्याण निधि सोसाइटी ऐसी सभी प्राप्तियों का अपने बहीखातों में हिसाब रखेगी और इन नियमों के अधीन प्राप्त राशि के लिए पृथक रिकॉर्ड बनाएगी।

28. निधियों का उपयोग - (1) इन नियमों के अधीन नाविक कल्याण निधि सोसाइटी को प्रेषित की गई राशि का उपयोग केवल नाविकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए किया जाएगा, जिसमें समुद्री श्रम अभिसमय, 2006 के विनियम 4.4 और मानक ए 4.4 के अनुसार कल्याण सुविधाओं और सेवाओं की स्थापना, रखरखाव, संचालन और सुधार सम्मिलित है।

(2) उप-नियम (1) के उपबंधों के अधीन, निधियों के उपयोग में व्यय सम्मिलित हो सकेगा

(क) आवास, मनोरंजक सुविधाओं, सूचना केंद्रों और परामर्श सेवाओं सहित पत्तन -आधारित कल्याण सुविधाएं;

(ख) नाविकों और उनके आश्रितों के लिए चिकित्सा, सामाजिक और शैक्षिक सहायता;

(ग) पत्तनों और अन्य स्थानों पर कल्याणकारी सेवाओं तक पहुंच जो नाविकों द्वारा बार-बार उपयोग की जाती हैं;

(घ) नाविकों के लिए संचार, परिवहन और आपातकालीन सहायता की सुविधा के उपाय; और

(ङ) इन नियमों और समुद्री श्रम कन्वेंशन, 2006 के उद्देश्यों के अनुरूप कोई अन्य कल्याणकारी उपाय।

(3) नाविक कल्याण निधि सोसाइटी इन नियमों के अधीन सभी प्राप्तियों और व्यय के लिए पृथक खाते बनाएगी और खातों के वार्षिक कथन और उपयोग प्रमाणपत्र केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगी।

29. अतिरिक्त भुगतान की वापसी-(1) जहां इन नियमों के अधीन भुगतान किया गया कोई वार्षिक कल्याण फीस, वास्तव में देय राशि से अधिक है, तो अतिरिक्त राशि भुगतान की तारीख से बारह माह के भीतर किए गए दावे पर वापस कर दी जाएगी:

परन्तु सक्षम प्राधिकारी, ऐसे कारणों से, जिन्हें लेखाबद्ध किया जा सके, ऐसे दावे करने के लिए बारह माह से अधिक की अवधि तक समय बढ़ा सकेगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन किए गए प्रतिदाय को "11 - समुद्री वाणिज्य - प्रतिदाय की कटौती" शीर्षक के अधीन समायोजित किया जाएगा।

30. खाता का रखरखाव- (1) उचित अधिकारी प्रत्येक जलयान और सेवा में लगे चालक दल की संख्या के संबंध में प्ररूप में एक खाता बनाएगा, जिसमें निम्नलिखित इंगित किया जाएगा-

(क) देय और एकत्र की गई फीस;

(ख) किए गए प्रतिदाय;

(ग) संग्रह की लागत; और

(घ) नाविक कल्याण निधि सोसाइटी को प्रेषित राशि।

(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट रूप से बनाए गए खाते केन्द्रीय सरकार के निदेशों के अनुसार लेखापरीक्षा के अधीन होंगे।

अध्याय 4- पत्तन आधारित कल्याणकारी सुविधाएं

31. पत्तन आधारित कल्याणकारी सुविधाएं- (1) पत्तन आधारित कल्याणकारी सुविधाएं निम्नलिखित के अनुसार प्रदान की जाएंगी:

(क) समुद्री श्रम कन्वेंशन, 2006 के विनियम 4.4 में निहित सिद्धांत; और

(ख) समुद्री प्रशासन के महानिदेशक द्वारा जारी पत्तन आधारित कल्याण से संबंधित कल्याण संबंधी मार्ग-दर्शक सिद्धांत, जो समय-समय पर संशोधित किए जाएंगे।

(2) उप-नियम (1) में उल्लिखित मार्ग-दर्शक सिद्धांत प्रकृति में सहायक होंगे और इन नियमों के अधीन अधिरोपित दायित्वों को कम या कमजोर नहीं करेंगे।

(3) पत्तन के आकार, यातायात, टर्मिनल विन्यास और सुरक्षा संबंधी विचारों के आधार पर लचीलेपन को नुकसान पहुंचाए बिना, इन नियमों के अधीन समर्थन के लिए पात्र पत्तन -आधारित कल्याणकारी सेवाओं में सम्मिलित हो सकेंगे, -

क. इंटरनेट या वाई-फाई एक्सेस सहित संचार सुविधाएं;

ख. सिम कार्ड या रिचार्ज सुविधाओं सहित स्थानीय संचार के लिए सहायता

ग. छात्रावासों, बोर्डिंग हाउसों या अन्य अस्थायी आवास व्यवस्थाओं सहित आवास सुविधाओं तक पहुंच, और भोजन और बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच;

घ. सुरक्षा मंजूरी और परिचालन व्यवहार्यता के अधीन, आस-पास के शहरी केंद्रों तक परिवहन व्यवस्था

ङ. मनोरंजक, सांस्कृतिक और सामाजिक सहायता सुविधाएं;

च. मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और मनोसामाजिक सहायता सेवाएं;

छ. चिकित्सा सहायता, रेफरल सेवाएं और आपातकालीन स्वास्थ्य देखभाल सुविधा;

ज. स्थानीय विधि, रीति-रिवाजों और आपातकालीन संपर्कों पर जानकारी तक पहुंच; और

झ. मान्यता प्राप्त कल्याण संगठनों, विधिक सहायता प्रदाताओं और कांसुलर सहायता के संबंध में जानकारी।

(4) कल्याण संबंधी जानकारी का प्रसार बहुभाषी सूचनाओं, मानचित्रों, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म या ऐसे अन्य साधनों के माध्यम से किया जाएगा जो नाविकों द्वारा प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त हों।

32. भेदभाव-रहित और समावेशिता- (1) इन नियमों के अधीन निर्दिष्ट पत्तन -आधारित कल्याणकारी सुविधाएं राष्ट्रीयता, लिंग, जाति, धर्म, रैंक या जलयान के झंडे के आधार पर भेदभाव के बिना सभी नाविकों के लिए सुलभ होंगी।

(2) महिला नाविकों की विशिष्ट कल्याण, स्वास्थ्य और स्वच्छता आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी, जिसमें मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों तक पहुंच और उपयुक्त निपटान सुविधाएं सम्मिलित हैं।

33. निरीक्षण और देखरेख- (1) इन नियमों के अधीन प्रदान की गई पत्तन आधारित कल्याण सुविधाओं का नाविक कल्याण बोर्ड लेखा परीक्षा दल द्वारा निरीक्षण किया जाएगा।

(2) नाविक कल्याण बोर्ड लेखा परीक्षा दल की संरचना ऐसी होगी जो महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट की जा सकेगी।

(3) उक्त लेखा परीक्षा दल आकलन करेगा,

- (क) विद्यमान कल्याणकारी सुविधाओं की पर्याप्तता और उनका प्रबंधन;
- (ख) कल्याण कोष का उपयोग और लेखांकन; और
- (ग) ऐसे अन्य मामले जो विनिर्दिष्ट किए जा सकेंगे।

34. पत्तन प्राधिकरणों के साथ समन्वय- इस अध्याय में सम्मिलित नहीं होगा, -

- (क) पत्तन प्राधिकरणों या राज्य सरकारों की कानूनी शक्तियों में हस्तक्षेप करना; या
- (ख) किसी पत्तन को विनियमित करने वाले किसी विशेष विधि को अधिभावी करना

और इन नियमों के अधीन कल्याणकारी उपायों का कार्यान्वयन संबंधित पत्तन प्राधिकरण, राज्य समुद्री बोर्ड या पत्तन प्रबंधन इकाई, यथा लागू, के समन्वय में किया जाएगा।

प्ररूप -1

[नियम 23(5) देखें]

प्ररूप - नाविक कल्याण फीस की रसीद

1. पत्तन का नाम: _____
2. नाविक रजिस्ट्रीकरण पत्तन : _____
3. राशि का भुगतान: (शब्दों में:)
4. भुगतान देय तारीख: _____
5. भुगतान की वास्तविक तारीख: _____
- क. जलयान के व्यौरे:
- ख. जलयान का नाम: _____
- ग. आईएमओ नं: / आधिकारिक संख्या: _____
- घ. टन भार: _____
- ङ. हस्ताक्षर किए गए नाविकों की संख्या: _____
6. भुगतानकर्ता का नाम और पता: _____
7. भुगतान का माध्यम (चेक / डीडी / ऑनलाइन संदर्भ संख्या): _____

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

(कार्यालय की मुहर)

नाम: _____

पदनाम: _____

तारीख: _____

प्ररूप 2**[नियम 24(4) देखें]**

प्ररूप - कल्याण निधि अंशदान के लिए रसीद

1. भुगतानकर्ता का नाम और पता: _____
2. राशि का भुगतान:..... (शब्दों में:.....)
3. भुगतान की नियत तारीख: _____
4. भुगतान की वास्तविक तारीख: _____
5. तिमाही अवधि जिसके लिए अंशदान किया गया है:
6. नियुक्त नाविकों की संख्या:
 - i. विदेश जाने वाले भारतीय जलयानों पर:
 - ii. तटीय जल में काम करने वाले भारतीय पोत:

(नाविक कल्याण निधि सोसाइटी की मुहर)

नाम: _____

पदनाम: _____

तारीख: _____

प्ररूप 3**[नियम 26(4) देखें]**

प्ररूप - नाविक कल्याण फीस की रसीद (सीमा फीस अधिकारियों द्वारा जारी की जानी है)

1. पत्तन का नाम: _____
2. नाविक रजिस्ट्रीकरण पत्तन : _____
3. राशि का भुगतान:..... (शब्दों में:.....)
4. भुगतान देय तारीख: _____
5. भुगतान की वास्तविक तारीख: _____
6. जलयान के व्यौरे:
 1. जलयान का नाम: _____
 2. आईएमओ नं: / आधिकारिक संख्या: _____
 3. टन भार: _____
 4. हस्ताक्षर किए गए नाविकों की संख्या: _____
7. भुगतानकर्ता का नाम और पता: _____
8. भुगतान का माध्यम (चेक / डीडी / ऑनलाइन संदर्भ संख्या): _____

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

(कार्यालय की मुहर)

नाम: _____

पदनाम: _____

तारीख: _____

प्ररूप 4**[नियम 30 देखें]****नाविक कल्याण फीस के लिए प्रोफार्मा खाता (वित्तीय वर्ष के लिए)**

- क. नाविक कल्याण फीस के संबंध में स्वामी से बकाया
- i. एरियर
 - ii. वर्तमान वर्ष।
- ख. नाविक कल्याण फीस वास्तव में, के संबंध में एकत्र किया गया
- i. एरियर
 - ii. वर्तमान वर्ष।
- ग. नियम 29 के अधीन अतिरिक्त भुगतान की वापसी।
- घ. केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित संग्रह की लागत।
- ङ. विविध व्यय, यदि कोई हो
- च. केन्द्रीय सरकार द्वारा नाविक कल्याण निधि सोसाइटी को भुगतान की गई उदग्रहीत राशि।

[फा. सं. एसवाई-19014/185/2025-एमजी भाग-(1)]

मुकेश मंगल, अपर सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2026

G.S.R. 408(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (2), (3) and (4) of section 5, read with sub-section (1) and clause (c), (d), and (e) of sub-section (2) of section 6 of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025), and in supersession of the Merchant Shipping (National Welfare Board for Seafarers) Rules, 1963 and the Merchant Shipping (Levy of Seamen’s Welfare Fee) Rules, 1974, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

Chapter I – General Provisions

1. Short title, commencement and application.— (1) These rules may be called the Merchant Shipping (Seafarers Welfare Board and Levy of Fees) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) These rules shall apply to—

- (a) every owner of Indian vessel; and
- (b) all seafarers present within the jurisdiction of India, irrespective of nationality or the flag of the vessel on which they are employed, in respect of access to welfare facilities and services provided under these rules.

2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) “Act” means the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025);
- (b) “Chairperson” means the Chairperson of the Welfare Board;
- (c) “Form” means a Form appended to these rules;
- (d) “non-official member” means a member of the Welfare Board who is not an official member;
- (e) “official-member” means a member of the Board who is a serving government official nominated *ex officio* or otherwise by the Central Government, or a person whose membership arises directly from holding any office under the Central Government, a State Government, or a statutory authority;
- (f) “proper officer” means the Shipping Master or such other officer as may be appointed by the Central Government;
- (g) “Seafarers Welfare Fund Society” means a society registered as such under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860);
- (h) “Secretary” means the Secretary of the Welfare Board;
- (i) “Welfare Board” means the Seafarers Welfare Board constituted under sub-section (1) of section 5 of the Act;

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

Chapter II – Seafarers Welfare Board

3. Constitution of the Welfare Board.— (1) The Central Government shall, by notification, constitute the Seafarers Welfare Board for a period of two years at a time:

Provided that where such Board is not constituted by the Central Government upon the expiry of two years from the date of its constitution, the same Board shall continue to function till the successive board is constituted, subject to a maximum period of six months.

(2) The Welfare Board shall perform the advisory functions specified under sub-section (1) of section 5 of the Act having regard to Regulation 4.4, and Standard A4.4 of the Maritime Labour Convention, 2006.

4. Composition of the Welfare Board.— The Welfare Board shall consist of the following members, namely:—

- (1) the Secretary to the Government of India, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, — Chairperson, *ex officio*;
- (2) the Director-General of Maritime Administration, — Vice-Chairperson, *ex officio*;

- (3) four representative of the Central Government, **not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India**, to be nominated by the Central Government;
- (4) ten Government representative from the States and Union territories to be nominated by the Central Government;
- (5) four representative from major ports to be nominated by the Central Government;
- (6) four representatives of ship owners, to be nominated by the Central Government after consultation with recognised ship-owners' associations;
- (7) six representatives of seafarers, to be nominated by the Central Government after consultation with recognised union of seafarers;
- (8) four members to be appointed by the Central Government representing societies interested in welfare of seamen;
- (9) the Deputy Director-General of Maritime Administration in charge of Seafarer's Welfare, — Member-Secretary, *ex officio*.

5. Term of office.— Every member of the Welfare Board shall hold office for a period of two years from the date of publication of the notification constituting the Welfare Board, unless they resign, or are removed earlier in accordance with rule 8.

6. Casual vacancies.— (1) A casual vacancy in the office of a member shall be filled by nomination by the Central Government.

(2) A member nominated to fill a casual vacancy shall hold office for the remainder of the term of the member in whose place he is nominated.

7. Resignation.— (1) A member may resign from office by communicating in writing to the Chairperson.

(2) The resignation shall not take effect until it is accepted by the Chairperson.

8. Removal of members.— (1) The Central Government may remove a member of the Welfare Board, if he, —

- (a) is continuously out of India for more than twelve months without prior permission of the Chairperson;
- (b) is absent from three consecutive meetings without permission of the Chairperson;
- (c) has been adjudged as an insolvent;
- (d) has been convicted of an offence involving moral turpitude;
- (e) ceases to represent the category or interest on whose behalf he was appointed; or

(2) The Central Government may remove a member, after recording reasons in writing and providing an opportunity of being heard to such member, if it considers it undesirable for such person to continue as a member.

9. Suspension of representation.— (1) Where, after enquiry, the Central Government is of the opinion that any body, union or association represented on the Welfare Board has acted in a manner prejudicial to the interests of seafarers, it may, by order and for reasons recorded in writing, suspend the right of such body, union or association to be represented on the Welfare Board for the period specified in the order.

(2) Upon such suspension, the member nominated by that body, union or association shall cease to hold office for the duration of the suspension.

(3) A vacancy arising under sub-rule (2) shall not be treated as a casual vacancy under rule 6, and shall be filled only for the period of suspension specified under sub-rule (1).

10. Register of members.— A register of members shall be maintained by the Secretariat of the Welfare Board and shall contain the following particulars in respect of each member, namely:—

- (1) name and address;
- (2) the capacity in which they serve on the Board and the interests which they represent, where applicable;
- (3) date of appointment and term of office;
- (4) date and reason for cessation of office; and
- (5) any change in the particulars referred to in clauses (1) and (2).

11. Secretary of the Welfare Board.— (1) The Deputy Director-General of Maritime Administration in charge of Seafarers Welfare, *ex-officio* member referred to in sub-rule (1) of rule 4, shall also function as Member Secretary of the Welfare Board.

(2) The duties of the Member Secretary shall include,—

- (a) convening meetings under directions of the Chairperson;
- (b) maintaining the minutes book and the register of members;
- (c) assisting the Chairperson in discharge of duties; and
- (d) performing other duties as may be assigned by the Welfare Board from time to time.

12. Meetings of the Welfare Board.— (1) The Welfare Board shall ordinarily meet at least once in every six months, and may meet at such shorter intervals as the Chairperson may consider necessary.

(2) An extraordinary meeting of the Welfare Board shall be convened if not less than five members make a written requisition to the Chairperson specifying the purpose for which such meeting is required.

(3) Every meeting of the Welfare Board shall be presided over—

- (a) by the Chairperson; or
- (b) in the absence of the Chairperson, by the Vice-Chairperson; or
- (c) if both the Chairperson and the Vice-Chairperson are absent, by a member elected by the members present from amongst themselves to preside.

(4) Meetings of the Welfare Board shall be held on such date, time and place as may be decided by the Chairperson.

13. Notice of meetings.— (1) Notice of the place, date and time of each meeting of the Welfare Board shall be given to every member at least fifteen days in advance:

Provided that in cases of urgency, the Chairperson may permit a shorter notice period.

(2) Notice referred to in sub-rule (1) may be served—

- (a) by hand delivery, or
- (b) by registered post to the last known address of the member, or
- (c) by electronic means, including e-mail or other modes of digital communication approved by the Chairperson.

(3) Service of such notice by electronic means shall be deemed sufficient where transmission is confirmed by system delivery status or any other proof of dispatch.

14. Agenda.— (1) Along with the notice of meeting, a list of business proposed for the meeting shall be sent to all members.

(2) No business not included in the agenda shall be transacted except with permission of the Chairperson.

15. Quorum.— (1) The quorum for a meeting of the Welfare Board shall not be less than one-third of the total number of members.

(2) If no quorum is present, the meeting shall be adjourned to a later date not earlier than fourteen days from the original date.

(3) Business at the adjourned meeting may be transacted whether or not quorum is present.

16. Procedure at meetings.— (1) A member wishing to discuss any proposal shall give written notice to the Member Secretary at least seven days before the meeting.

(2) The Chairperson, Vice-Chairperson or the presiding member as the case may be, shall regulate the conduct of the meeting.

17. Voting.— (1) Decisions shall be made by a majority of votes of members present and voting.

(2) In case of a tie, the Chairperson, Vice-Chairperson or the presiding member as the case may be shall have a casting vote.

(3) All votes shall be by show of hands.

18. Minutes of meetings.— (1) Minutes of meetings shall be prepared by the Member Secretary and circulated to all members.

(2) Minutes, along with any amendments suggested, shall be placed for confirmation at the next meeting.

(3) Once confirmed and signed by the Chairperson or presiding member, minutes shall be recorded in the minutes book, which shall remain open for inspection during office hours.

19. Recommendations.— Decisions requiring further action shall be recorded as recommendations and forwarded to the Ministry of Ports, Shipping, and Waterways.

20. Non-members attending meetings.— (1) The Chairperson may invite any person to attend a meeting of the Welfare Board for the purpose of providing expert advice or information relevant to the functions of the Welfare Board.

(2) Persons invited under sub-rule (1) may include representatives of the Central Government, State Governments, shipowners or seafarers organisations, major ports and ports other than major ports, organisations engaged in welfare of seafarers, maritime training institutions, or subject-matter experts in seafarers welfare, maritime labour standards, or related matters.

(3) An invitee shall have the right to participate in discussions, but shall not have a right to vote.

21. Sub-committees.— (1) The Welfare Board may constitute one or more sub-committees, standing or otherwise, to examine and report on matters relating to the functions of the Welfare Board.

(2) A sub-committee shall consist of such members of the Welfare Board, as the Welfare Board may determine, and may also include persons having special knowledge or experience in matters relating to seafarers welfare, maritime labour standards or port welfare operations, as the Welfare Board considers necessary.

(3) Persons who are not members of the Welfare Board but are appointed to a sub-committee shall have the right to participate and advise, but shall not have voting rights.

(4) Sub-committees shall submit their recommendations to the Welfare Board, and no decision of a sub-committee shall be binding unless approved by the Welfare Board.

22. Travelling and daily allowances.— (1) Official members of the Welfare Board and of any sub-committee thereof shall be entitled to travelling and daily allowances for attending meetings or for undertaking any official business of the Welfare Board, in accordance with the terms and conditions prescribed in the Government of India, Ministry of Finance, Office Memorandum No. 19030/01/2017-E.IV dated 13th July 2017, as amended from time to time.

(2) In the case of non-official members of the Welfare Board and of any sub-committee thereof, the entitlements shall be governed by Office Memorandum F. No. 19047/1/2016-E.IV, dated 14th September 2017, as amended from time to time.

(3) The Director-General shall be the controlling authority for sanctioning allowances in respect of non-official members.

(4) Nothing in this rule shall affect the entitlement of any member to receive allowances from his or her employer, where applicable.

CHAPTER III – Levy and Collection of Seafarers Welfare Fees

23. Levy and collection of seafarers welfare fees.— (1) There shall be levied and collected, in respect of each seafarer engaged on board an Indian vessel, an annual welfare fee at the rate of five hundred rupees per year for the purpose of providing amenities and promoting the welfare of seafarers.

(2) The annual welfare fee shall be payable by the owner of the Indian vessel in respect of each seafarer, who is held in engagement on board such vessel as on the first day of April of the relevant financial year.

(3) The annual welfare fee referred to in sub-rule (2) shall be paid on or before the thirtieth day of June of the financial year to which it relates.

(4) The fee shall be paid by electronic transfer to the proper officer, who shall credit such fee to the Government account under the head “XI—Mercantile Marine—Seafarers Welfare Fee” within seven days of receipt.

(5) The proper officer shall issue a receipt for every payment received in Form I.

(6) Every owner shall furnish to the proper officer such information as may be required for the implementation of these rules.

(7) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1), (2) and (3), the welfare fee shall be paid within sixty days from the date of commencement of these rules, irrespective of the date of engagement of such seafarer.

24. Welfare fund contributions.— (1) All owners of Indian vessels shall contribute to the Seafarers Welfare Fund Society for all seafarers, other than trainees, engaged by them—

- (a) at the rate of **₹500 per seafarer per month**, for foreign-going Indian vessels; and
- (b) at the rate of **₹250 per seafarer per month**, for Indian vessels operating in coastal waters.

(2) The Seafarers' Welfare Fund contribution amount referred to in the sub-rule (1) shall be subject to revision by the Director-General, which may be done once in every three years:

Provided that the amount so revised shall not exceed twenty-five percent of the contribution referred to in sub-rule (1).

(3) The contributions referred to in the sub-rule (1), shall be remitted on a quarterly **basis** within fifteen days from the last date of the previous quarter to the Seafarers Welfare Fund Society, by **electronic transfer**, drawn in favour of the Society.

(4) The Seafarers Welfare Fund Society shall issue a receipt for every payment received by it in Form II.

25. Determination of disputes regarding liability.— (1) Where any dispute arises regarding the liability for payment of, or the amount of, the fee payable under these rules, the owner of the vessel may apply in writing to the Director-General for determination of the dispute.

(2) The Director-General shall, after giving the applicant an opportunity of being heard and after examining the relevant records, pass a reasoned order determining the liability.

(3) The decision of the Director-General shall be binding on both the Parties.

26. Refusal of port clearance.— (1) Where any owner of a vessel fails to make payment of the welfare fee due within the time specified in these rules, the proper officer shall serve a notice on the owner of the vessel concerned, calling upon him to pay the fee within thirty days from the date of receipt of such notice. Thereafter, the proper officer may communicate the particulars of the defaulter to the Customs authorities, who shall not grant port clearance to the vessel until the amount of welfare fee due in respect of that vessel, including the expenses of collection, has been paid or until adequate security for payment thereof has been furnished to their satisfaction.

(2) If any vessel, in respect of which welfare fee is payable at any port, leaves such port without the amount referred to in sub-rule (1) having been paid, the Customs authorities may, in writing, require the Customs authorities at any other port to which the vessel may proceed, or at which the vessel may be, to recover the said amount.

(3) The Customs authorities to whom a requisition is sent under sub-rule (2) shall proceed to recover the said amount as if it were payable under these rules at the port at which such authorities are exercising jurisdiction, and a certificate issued by the Customs authorities at the port at which the said amount became payable, specifying the amount due, shall be sufficient proof of such liability in any proceedings under these rules.

(4) Upon recovery of the amount referred to in sub-rule (3), the Customs authorities shall issue a receipt as specified in Form III to the person making the payment, and shall forward a copy of the receipt, along with other relevant papers, if any, to the proper officer through the Customs authorities at the port at which the said amount became payable.

27. Receipts and remittance to Consolidated Fund of India.— (1) The amount of annual welfare fee collected under rule 23 shall be credited to the Consolidated Fund of India under the revenue receipt head "XI — Mercantile Marine — Seafarers Welfare Fee".

(2) The Central Government shall determine, annually, the cost of collection of the welfare fee, and after deduction of such cost from the gross collections, the net proceeds shall, after due appropriation by Parliament, be remitted to the Seafarers Welfare Fund Society.

(3) The remittance under sub-rule (2) shall be debited to the expenditure head "54 — Mercantile Marine — Contributions/Payments on account of Seafarers Welfare Fee".

(4) The Seafarers Welfare Fund Society shall account for all such receipts in its books and maintain separate records for amounts received under these rules.

28. Utilisation of funds.— (1) The amounts remitted to the Seafarers Welfare Fund Society under these rules shall be utilised solely for the welfare of seafarers and their dependants, including for the establishment, maintenance, operation and improvement of welfare facilities and services, in accordance with Regulation 4.4 and Standard A4.4 of the Maritime Labour Convention, 2006.

(2) Subject to the provisions of sub-rule (1), the utilisation of funds may include expenditure on—

- (a) port-based welfare facilities, including accommodation, recreational facilities, information centres and counselling services;
- (b) medical, social and educational assistance for seafarers and their dependants;

- (c) access to welfare services at ports and other places frequented by seafarers;
- (d) measures to facilitate communication, transportation and emergency assistance for seafarers; and
- (e) any other welfare measures consistent with the objectives of these rules and the Maritime Labour Convention, 2006.

(3) The Seafarers Welfare Fund Society shall maintain separate accounts for all receipts and expenditures under these rules and shall furnish annual statements of accounts and utilisation certificates to the Central Government.

29. Refund of excess payment.— (1) Where any annual welfare fee, paid under these rules, exceeds the amount actually due, the excess amount shall be refunded on a claim made within twelve months from the date of payment:

Provided that the competent authority may, for reasons to be recorded in writing, extend the time for making such claim by a further period not exceeding twelve months.

(2) Refunds made under sub-rule (1) shall be adjusted under the head “XI — Mercantile Marine — Deduct Refunds”.

30. Maintenance of accounts.— (1) The proper officer shall maintain, in respect of each vessel and the number of crew served, an account in Form IV, indicating—

- (a) fees due and collected;
- (b) refunds made;
- (c) cost of collection; and
- (d) amounts remitted to the Seafarers Welfare Fund Society.

(2) The accounts maintained as specified in sub-rule (1) shall be subject to audit in accordance with the directions of the Central Government.

CHAPTER IV – Port-Based Welfare Facilities

31. Port-based welfare facilities.— (1) The Port-based welfare facilities shall be provided in accordance with—

- (a) the principles contained in Regulation 4.4 of the Maritime Labour Convention, 2006; and
- (b) the welfare-related guidelines relating to port-based welfare issued by the Director-General of Maritime Administration, as amended from time to time.

(2) The guidelines referred to in sub-rule (1) shall be facilitative in nature and shall not derogate from, or dilute, the obligations imposed under these rules.

(3) Without prejudice to flexibility based on port size, traffic, terminal configuration and security considerations, port-based welfare services eligible for support under these rules may include,—

- (a) communication facilities including internet or Wi-Fi access;
- (b) assistance for local communication including SIM cards or recharge facilities;
- (c) access to accommodation facilities including hostels, boarding houses or other temporary lodging arrangements, and access to food and basic amenities;
- (d) transport arrangements to nearby urban centres, subject to security clearance and operational feasibility;
- (e) recreational, cultural and social support facilities;
- (f) mental health counselling and psychosocial support services;
- (g) medical assistance, referral services and emergency healthcare facilitation;
- (h) access to information on local laws, customs and emergency contacts; and
- (i) information regarding recognised welfare organisations, legal aid providers and consular assistance.

(4) Welfare-related information shall be disseminated through multilingual notices, maps, digital platforms or such other means as may be appropriate to ensure effective access by seafarers.

32. Non-discrimination and inclusiveness.— (1) The Port-based welfare facilities specified under these rules shall be accessible to all seafarers without discrimination on grounds of nationality, gender, race, religion, rank or flag of vessel.

(2) Appropriate arrangements shall be made to address the specific welfare, health and hygiene needs of women seafarers, including access to menstrual hygiene products and suitable disposal facilities.

33. Inspection and oversight.— (1) The Port-based welfare facilities provided under these rules shall be subject to inspection by the Seafarers Welfare Board Audit Team.

(2) The composition of the Seafarers Welfare Board Audit Team shall be such as may be specified by the Director-General.

(3) The said Audit Team shall assess,—

- (a) adequacy of existing welfare facilities and management thereof;
- (b) utilisation and accounting of welfare funds; and
- (c) such other matters as may be specified.

34. Co-ordination with port authorities.— Nothing in this Chapter shall,—

- (a) interfere with the statutory powers of port authorities or State Governments; or
- (b) override any special law governing a port,

and implementation of welfare measures under these rules shall be carried out in coordination with the concerned port authority, State Maritime Board or port management entity, as applicable.

FORM I

[See rule 23(5)]

Form — Receipt for Seafarers Welfare Fee

1. Name of Port: _____
2. Seafarers Registration Port: _____
3. Amount Paid: ₹ _____ (in words: _____)
4. Date of Payment Due: _____
5. Actual Date of Payment: _____
6. Vessel Details:
 - (a) Name of Vessel: _____
 - (b) IMO No. / Official No.: _____
 - (c) Tonnage: _____
 - (d) Number of Seafarers Signed On: _____
7. Name and Address of Payer : _____
8. Mode of Payment (Cheque/DD/Online Ref. No.): _____

Signature of Proper Officer

(Seal of Office)

Name: _____

Designation: _____

Date: _____

FORM II*[See rule 24(4)]*

Form — Receipt for Welfare Fund Contribution

1. Name and Address of Payer: _____
2. Amount Paid: ₹ _____ (in words: _____)
3. Due Date of Payment: _____
4. Actual Date of Payment: _____
5. Quarterly period for which contribution made:
6. Number of seafarers engaged:
 - i. On foreign-going Indian vessels:
 - ii. Indian vessels operating in coastal waters:

(Seal of Seafarer Welfare Fund Society)

Name: _____**Designation:** _____**Date:** _____

FORM III*[See Rule 26(4)]*

Form — Receipt for Seafarers Welfare Fee (to be issued by Customs authorities)

1. Name of Port: _____
2. Seafarers Registration Port: _____
3. Amount Paid: ₹ _____ (in words: _____)
4. Date of Payment Due: _____
5. Actual Date of Payment: _____
6. Vessel Details:
 - (a) Name of Vessel: _____
 - (b) IMO No. / Official No.: _____
 - (c) Tonnage: _____
 - (d) Number of Seafarers Signed On: _____
7. Name and Address of Payer: _____
8. Mode of Payment (Cheque/DD/Online Ref. No.): _____

Signature of Proper Officer

(Seal of Office)

Name: _____**Designation:** _____**Date:** _____

FORM IV*[See Rule 30]***Proforma Account for Seafarers Welfare Fee (for the Financial Year _____)**

- a) Seafarers Welfare Fee dues from the owners in respect of
 - (i) Arrears.
 - (ii) Current year.
- b) Seafarers Welfare Fee actually collected in respect of
 - (i) Arrears.
 - (ii) Current Year.
- (c) Refund of excess payment under Rule 29.
- (d) Cost of collection as determined by the Central Government.
- (e) Miscellaneous expenditure, if any.
- (f) Amount of levy paid to the Seafarers Welfare Fund Society by Central Government.

[F. No. SY-19014/185/2025-MG-Part (1)]
MUKESH MANGAL, Addl. Secy.